अचल सम्पत्ति नीलामी इश्तहारः–

(जे0एच0वी0,सुगर मिल्स लिमिटेड पडरौना, कुशीनगर की नीलामी विषयक)

सर्वधारण को सुचित, किया जाता है कि बाकीदार जे0एच0वी0 सुगर मिल्स लिमिटेड (पूर्व नाम कानपुर सुगर वर्क्स लि0 पडरौना) की कुर्कशुदा चल, अचल सम्पत्ति जिसका विवरण निम्नवत् है,कि सार्वजनिक बोली के माध्यम से नीलामी की जानी नियत है। इच्छुक केता नीलामी के पूर्व किसी भी कार्य दिवस में उपजिलाधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार/नीलामी अधिकारी से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते है, जिसका संक्षिप्त विवरण एवं शर्ते निम्नवत् हैः–

बकाया धनराशि–मु0 378.11, 4297.81 लाख रूपया व मु0 9391203/–रू0 व 253.08लाख कुल 5131.25लाख +अन्य

1 मिल की मशीनरी का मूल्यांकनः– मु0 4582.70 लाख रू0 । नीलामी की तिथि दिनांक– 12-01-2018

2.अचल सम्पत्तिः–

क0 सं0	गाटा संख्या	क्षे0(हे0 में)	न्यूनतम बोली (रू0)	अग्रिम जमानत की राशि	नीलामी तिथि	समय	स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	448	0.0730	3504000.00	50000.00		10.00 बजे सुबह से अपरान्ह 02:00 बजे तक	तहसील परिसर पडरौना, जनपद–कुशीनगर।
2	509 का शेष रकबा	0.223	1301360.00	50000.00			
3	511खषृ.का शेष रकबा	0.167	967720.00	50000.00			
4	512	0.0690	3312000.00	50000.00			
5	700	0.138	3910000.00	50000.00			
6	537खषृ.	0.0770	3696000.00	50000.00			
7	1001खप.	1.4610	70128000.00	50000.00			
8	1002खषृ.	0.2230	10704000.00	50000.00			
9	1005खषृ.	0.8690	41712000.00	50000.00			
10	215खषृ.	1.460	9052000.00	50000.00			
11	216खषृ.	0.0490	2352000.00	50000.00			

1. यह कि नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों/फर्मो को अपने पहचान–पत्र, पैनकार्ड इत्यादि सहित सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
2. यह कि नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को अग्रिम जमानत राशि उपरोक्तानुसार जमा करना होगा तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सम्बन्धित व्यक्ति /फर्म पागल, दिवालिया या आपराधिक पृवत्ति का नही है तथा सभी अस्त–शस्त्र पूर्ण रूपेण वर्जित रहेगें।
3. यह कि नीलामी में सबसे ऊंची धनराशी की बोली बोलने वाले व्यक्ति/फर्म को नीलामी धनराशि का 1/4 तत्काल जमा करना होगा तथा, 15दिन के अन्दर शेष अर्थात 3/4 धनराशि जमा करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संम्बन्धित व्यक्ति/फर्म द्वारा अग्रिम जमानत के रूप में जमा की गई 1/4 धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा।
4. यह कि नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म सबसे ऊंची बोली बोलने के पश्चात् यदि नीलामी प्रकिया में भाग लेने से मुकर जाता है तो, उसके द्वारा जमा की गयी जमानत राशि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुए पुनः नये सिरे से नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।
5. यह कि नीलामी की समस्त कार्यवाही/स्वीकृती के सर्वाधिकार जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी महोदय के पास सुरक्षित होगा तथा अन्तिम निर्णय जिलाधिकारी महोदय द्वारा लिया जायेगा।
6. नीलामी लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति एक दिन पूर्व अपना नाम व पता व परिचय पत्र कार्यालय मे जमा कर दे।

उपजिलाधिकारी
पडरौना।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पडरौना।

संख्या– 1412 /संग्रह–17 दिनांक 13 दिसम्बर 2017

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
2. पुलिस अधीक्षक महोदय, कुशीनगर।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कुशीनगर।
4. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) महोदय, कुशीनगर।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय, कुशीनगर।
6. जिला गन्ना अधिकारी महोदय, कुशीनगर।
7. जिला सूचना अधिकारी महोदय, कुशीनगर।
8. समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद कुशीनगर।
9. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद कशीनगर।
10. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, जनपद कुशीनगर।
11. संपादन/संवाददाता, दैनिक जागरण, हिन्दूस्तान, रास्ट्रीय सहारा, को इस आशय के साथ प्रेषित के अपने अगले अंक मे इसे प्रकाशित करावें, एवं भुगतान हेतु उसकी एक प्रति उपलब्ध करावें।
12. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी कुशीनगर को इस आशय के साथ प्रेषित कि जनपद के वेबसाईट पर इसे अपलोड करने का कष्ट करें।

13.12.17

उपजिलाधिकारी
पडरौना।

आर0सी0 प्रपत्र–43
(देखे नियम 161 और 163)
भूमि व अन्य अचल सम्पतियों की विक्री हेतु उद्घोषणा
वाद सं0 ....वर्ष ....

पक्षकारों का नाम– जे0एच0वी0 सुगर मिल एवं ब्रिटिश इण्डिया कार्पोरेशन लि0 पडरौना (पूर्व नाम कानपुर सुगर वर्क्स लि0 इकाई) पडरौना जनपद कुशीनगर।

अध्यासी– श्री जवाहर लाल जायसवाल व अन्य निवासी– 16ए छोटालालपुर, पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी ।

जहां तक कि भूमि/अन्य अचल सम्पतियों जिनका विवरण नीचे अभिलिखित हैः–...
और व्यक्तिकमी श्री उपरोक्त.................................पुत्र श्री उपरोक्त.....................निवासी उपरोक्त.............
....भुगतान करने में असफल हो गये है और जहां तक की इस न्यायालय द्वारा व्यक्तिकमी की इस भूमि/अन्य अचल सम्पतियों की नीलामी हेतु निर्देशित किया गया है।

एतददारा सूचना दी जाती है कि अधोलिखित प्रश्नगत भूमि आदि अन्य अचल सम्पतियों की नीलामी सार्वजनिक बोली के माध्यम से दिनांक ....समय 10 बजे से नीलामी का स्थान तहसील परिसर पर निम्न शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन की जायेगीः–

1. नीलामी में सर्वोच्च बोली दाता को विधिक रूप से सक्षम होने की दशा में प्रश्नगत भूमि/अन्य अचल सम्पतियों का क्रेता घोषित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत केता को तत्काल बोली के धनराशि का 25 प्रतिशत नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा, असफल रहने की दशा में भूमि/अन्य अचल सम्पति का तत्काल पुनः बिक्री की जायेगी।
3. शेष धनराशि की अदायगी क्रेता द्वारा नीलामी की तिथि से पन्द्रहवे दिन या उससे पूर्व उ0प्र0 संहिता 2006 की धारा 190 में यथा वर्णित विधि के अनुसार की जायेगी।
4. यदि अवशेष धनराशि जमा नही की जाती है तब ऊपर वर्णित प्रस्तर 02 के अनुसार जमा की गई धनराशि राज्य सरकार द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
5. नीचे वर्णित अवशेष धनराशि का भुगतान नीलामी द्वारा विकय के पूर्व कर दिये जाने की दशा में विकय की कार्यवाही नही की जायेगी।
6. विक्रय की पुष्टि प्रश्नगत संहिता के धारा 194 से शासित होगा।

भूमि अथवा अन्य अचल सम्पतियों की विशिष्टताएं
(सम्पति की अनुमानित कीमत आरक्षित कीमत और सर्किल रेट व भू–राजस्व तथा भार यदि कोई हो)
ग्राम जंगल विशुनपुरा तसील पडरौना जनपद कुशीनगर स्थित खाता खतौनी सं0 00072 गाटा सं0 215, 216, 448, 512, 537 700, 1001, 1002, 1005 का कुल रकबा तथा गाटा सं0 509 व 511खष् का शेष रकबा सहित कुल रकबा 4.809हे0 का मूल्यांकन मु0 1549.028 लाख व सुगर मिल की मशीनरी का मूल्यांकन मु0 4582.70 लाख कुल धनराशि मु0 6131.728लाख

बकाया का विवरण
(क) भू राजस्व की बकाया या बकाया के रूप में वसूली योग्य धनाराशि मु0 378.11, 4297.81, 93.91 व 253.08 लाख कुल मु0 5131.25लाख व अन्य
(ख) कुर्की निष्पादन व्यय.......................
(ग) विकय निष्पादन व्यय......................
योगः–..

13.12.17
कलेक्टर/सहा0कले0 के हस्ताक्षर
उप जिलाधिकारी पडरौना।
जनपद कुशीनगर

जारी करने का दिनांकः–
मुहर

नोटः– 1. विकय की उदघोषणा विकय के लिए प्रस्तावित तिथि से कम से कम 21 दिन पूर्व होगी।
2. विकय की उदघोषणा की प्रति विकय के लिए प्रस्तावित तिथि से कम से कम 07 दिन पूर्व व्यक्तिकमी को तामील की जायेगी।
3. यदि विकय कलेक्टर या सहा0 कलेक्टर से भिन्न अन्य अधिकारी द्वारा किया जाता है तो उस दशा में उस अधिकारी का नाम व पद नाम उदघोषणा में उल्लिखित किया जायेगा।